

2019/2020/48

न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़

मिसल न० ३६/प्रा०पत्र/१९

बसन्तीलाल आ० बापूलाल पाटीदार नि० ग्राम दोबडी तहसील पिड़ावा वगै  
बनाम  
लालचन्द आ० कन्हैयालाल भील नि० ग्राम दोबडी तहसील पिड़ावा

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार पिड़ावा  
मिसल न० ०२/१८ दिनांक २५.०७.२०१९

प्रा०पत्र स्थगन आदेश

२७/८/१९ प्रा०पत्र मूल अपील के साथ प्रस्तुत हुआ। प्रकरण का अवलोकन किया गया, प्रकरण के अवलोकन से ऐसे कोई ठोस तथ्य दर्शित नहीं होते हैं जिस कारण प्रा०पत्र के माध्यम से प्रार्थी को किसी तरह का अनुतोष दिया जा सके। इस दशा में प्रा०पत्र के माध्यम से प्रार्थी को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। प्रा.पत्र बाद दर्ज रजिस्टर फ़ैसल शुमार होकर मूल अपील के सलंग्न हो।

  
जिला कलक्टर  
झालावाड़